न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत— संजीव कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या — 2023/148

1. श्री कृष्ण मान पुत्र श्री लाधुराम जाति जाट निवासी कागासर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

—वादी

बनाम

1. गोरादेवी पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी कागासर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

—प्रतिवादीगण

दावाबाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावाअन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित—

1. श्री रामकरण मूण्ड वकील वादी
2. पैरोकार राज

—:निर्णय:—

दिनांक :— 11/01/2024

संक्षेपमें इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से खातेदारी कृषि भूमि मौजा रोही कागासर तहसील लूनकरनसर के खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 427/356 तादादी 8.9300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 444/124 तादादी 6.5000 हैक्टेयर कुल तादादी 15.4300 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे सुयुक्त खाता मे विधिवत दर्ज है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी का उपरोक्त भूमि में दर्ज अपने अपने हिस्सा की भूमि पर कब्जा एवं दखल चला आ रहा है। वादगत भूमि वादी की खातेदारी भूमि है सहबन से वादी का नाम श्री कृष्ण मान की जगह किशनलाल दर्ज कर दिया गया जो महज लिपिकीय भूलवंश दर्ज हुआ है जो दुरूस्ती योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वादी का सही नाम श्री कृष्ण मान है। वादी का नाम श्री कृष्ण मान के स्थान पर किशनलाल दर्ज दिया है जो मात्र लिपिकीय भूल है। वादी का वास्तविक एवं सही नाम श्री कृष्ण मान है इसी नाम से वादी को जाना एवं पुकारा जाता है, श्री कृष्ण मान के नाम से ही राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि तमाम दस्तावेज बने हुए है राजस्व रिकार्ड मे सहबन से वादी का नाम श्री कृष्ण मान के स्थान पर किशनलाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ है। जिसे घोषणा के जरिये वादी दुरूस्त कराकर श्री कृष्ण मान पुत्र लाधुराम नाम दुरूस्त कराने का हकदार है। जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा कई बार राजस्व अभियानों मे नाम दुरूस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए परन्तु दुरूस्ती नहीं हुई। वादी द्वारा तहसीलदार लूनकरनसर महोदय को नाम दुरूस्ती की प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2023 को प्रस्तुत की तहसीलदार महोदय के उक्त दुरूस्ती के इन्कार के बाद वादी को नाम दुरूस्ती बाबत प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण हासिल हुआ। यही दिनांक विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। अतः वादी वकील द्वारा निवेदन किया गया की वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादगत भूमि मौजा रोही कागासर तहसील लूनकरनसर खसरा नम्बर 427/356 तादादी 8.9300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 444/124 तादादी 6.5000 हैक्टेयर कुल तादादी 15.4300 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे वादी का नाम किशनलाल पुत्र लाधुराम के स्थान पर श्री कृष्ण मान पुत्र श्री लाधुराम दरूस्त करने एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की डिग्री सादर फरमाई जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर को समन जारी किये गए। वादी का वास्तविक नाम श्री कृष्ण मान हैं। इसी नाम से वादी जाना व पुकारा जाता हैं। किशनलाल नाम से जमाबन्दी संवत् 2078 ग्राम कागासर की प्रति, वादी के सही नाम से आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईसिंग लाईसेन्स प्रति, जन–आधार कार्ड प्रति, राशन कार्ड प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत कागासर सरपंच द्वारा उक्त नाम श्री कृष्ण मान पुत्र लाधुराम सही नाम की अनुंशंषा पत्र, सहखातेदार गोरा देवी का उक्त नाम दुरूस्ती के समर्थन मे पेश शपथ पत्र आदि तमाम दस्तावेज शामिल मिसल है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किशनलाल पुत्र लाधूराम के स्थान पर श्री कृष्ण मान पुत्र लाधूराम खातेदार घोषित करवाने का हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर ने वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन उपरान्त वांछित दुरूस्ती की घोषणा किये जाने की अनुशंषा की है। वादी ने अपने दावे के समर्थन में किशनलाल नाम से जमाबन्दी संवत् 2078 ग्राम कागासर की प्रति, वादी के सही नाम से आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईसिंग लाईसेन्स प्रति, जन–आधार कार्ड प्रति, राशन कार्ड प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत कागासर सरपंच द्वारा उक्त नाम श्री कृष्ण मान पुत्र लाधुराम सही नाम की अनुंशंषा पत्र, सहखातेदार गोरा देवी का उक्त नाम दुरूस्ती के समर्थन मे पेश शपथ पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध किशनलाल नाम से जमाबन्दी संवत् 2078 ग्राम कागासर की प्रति, वादी के सही नाम से आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईसिंग लाईसेन्स प्रति, जन–आधार कार्ड प्रति, राशन कार्ड प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत कागासर सरपंच द्वारा उक्त नाम श्री कृष्ण मान पुत्र लाधुराम सही नाम की अनुंशंषा पत्र, सहखातेदार गोरा देवी का उक्त नाम दुरूस्ती के समर्थन मे पेश शपथ पत्र आदि के आधार पर स्पष्ट होता है कि किशनलाल और श्री कृष्ण मान एक ही व्यक्ति है। लिपिकिय भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम किशनलाल चला आ रहा है। जिसकी दुरस्ती हेतु निवेदन किया है। शपथ पत्र सहखातेदार एव सरपंच ग्राम पंचायत कागासर की तस्दीक अनुसार वादी का नाम किशनलाल एवं श्री कृष्ण मान एक ही है, इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का नाम श्री कृष्ण मान होने की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि मौजा रोही कागासर तहसील लूनकरनसर खसरा नम्बर 427/356 तादादी 8.9300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 444/124 तादादी 6.5000 हैक्टेयर कुल तादादी 15.4300 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे वादी का नाम किशनलाल पुत्र लाधुराम के स्थान पर श्री कृष्ण मान पुत्र श्री लाधुराम दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अतः उक्त दुरूस्ती का अंकन किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11/01/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर जलसाआम में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्डअधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

श्री कृष्ण मान **बनाम** **गोरादेवी वगै.**

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमानम्बर : 148/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी वकील रामकरण मूण्ड ,** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही कागासर तहसील लूनकरनसर खसरा नम्बर 427/356 तादादी 8.9300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 444/124 तादादी 6.5000 हैक्टेयर कुल तादादी 15.4300 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे वादी का नाम किशनलाल पुत्र लाधुराम के स्थान पर श्री कृष्ण मान पुत्र श्री लाधुराम दुरूस्ती की घोषणा की जाती है।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीससदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 11/01/2024 को मेरे द्वारा डिक्री जारी की गई।

उपखण्डअधिकारी
लूनकरनसर